बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

संख्या- 4/क्षे0स्था0सेवा नीति-7/2003-1002 रा0 पटना-15,दिनांक- 9-10-

भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल महोदय ने बिहार राज्य के समाहरणालय एवं इसके क्षेत्रीय स्थापना के आशुलिपिकों/ आशुटंककों की भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तों को विनयमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं:-

अध्याय-1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-

(क) यह नियमावली बिहार क्षेत्रीय (समाहरणालय) आशुलिपिक सम्वर्ग नियमावली- 2006 कहलायेगी।

(ख) यह पूरे बिहार राज्य में लागू होगी।

(ग) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषा:- इस नियमावली में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) 'विभाग' से अभिप्रेत है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(ख) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है समाहरणालय के विभिन्न कार्यालयों एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत आशुलिपिक/ आशुटंकक

(ग) नियुक्ति पदाधिकारी से अभिप्रेत है जिला समाहर्त्ता (जिला पदाधिकारी)

(घ) आयोग से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग।

3. संवर्ग की रचना:-

(क) जो कर्मी वर्त्तमान में समाहरणालय एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में आशुटंकक/ आशुलिपिक के पद पर नियुक्त एवं कार्य कर रहे है, का स्वतः इस सम्वर्ग में विलय हो जायेगा।

(ख) यह संवर्ग जिलास्तरीय होगा तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा।

(ग) विभिन्न कोटि के आशुलिपिकों की संख्या का आकलन उनके स्वीकृत बल के आधार पर होगा।

(घ) आशुलिपिकों के स्वीकृत बल की संख्या राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर बढ़ाई या घटायी जा सकती है।

(ड़) आशुलिपिक संवर्ग के पद-सोपान निम्नरूपेण विहित किए जायेंगे:-

क्रमांक	ग्रेड	वेतनमान	स्तर
अ	ग्रेड- III	4000-100-6000	मूल कोटि
ब	ग्रेड- II	5000-150-8000	प्रोन्नति का प्रथम स्तर
स	ग्रेड- I	5500-175-9000 ,	प्रोन्नति का द्वितीय स्तर

4. नियुक्ति की प्रक्रिया:-

(क) आशुलिपिक ग्रेड- III के पद पर नियुक्ति हेतु निम्नतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिकुलेशन के अलावे आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्युटर में दक्षता के आधार पर होगी।

(ख) न्यूनतम आयुसीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा वही होगा जो राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित होगा।

(ग) नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष कोटि-वार वास्तविक रिक्तियों के आधार पर आयोग को सूचना उपलबध कराते हुए अधियाचना भेजेंगे।

(घ) आयोग अभ्यर्थियों के द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा न्यूनतम अर्हता प्राप्तांक एवं व्यवहारिक दक्षता जाँच के आधार पर एक मेधा सूची तैयार करेगा तथा अपनी अनुशंसा नियुक्ति पदाधिकारी को भेजेगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं अर्हता प्राप्तांक का आकलन आयोग विभागों से विचार कर करेगा। आशुलेखन जाँच की अर्हता स्तर 80 शब्द प्रति मिनट एवं टंकण एवं कम्प्यूटर दक्षता 30 शब्द प्रति मिनट होगी। सफल होने के लिए आशुलेखन गति में 10 प्रतिशत एवं टंकण में 1.5 प्रतिशत से अधिक अशुद्धि मान्य नहीं होगा।

5. परीक्ष्यमान काल:-

नियुक्ति परीक्ष्यमान काल पर होगी, जो दो वर्षों के लिये होगी। अगर नियुक्त कर्मी की सेवा एवं आचार संतोषप्रद नहीं होगा तो उनका परीक्ष्यमान काल अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। अगर नियुक्त कर्मी की सेवा एवं आचार विस्तारित अवधि में भी संतोषप्रद नहीं रहा तो वैसे कर्मी की सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

6. प्रशिक्षण:-

परीक्ष्यमान काल की अवधि में कर्मी को प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान या कोई अन्य संस्थान जो कि राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित है, के मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेना होगा।

7. विभागीय परीक्षा एवं सम्पुष्टि:-

(i) राजस्व पर्षद की केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष विभागीय परीक्षा आयोजित की जायेगी।

(३२५)

(ii) विभागीय परीक्षा आशुलेखन, टंकण एवं कम्प्यूटर दक्षता की जाँच के लिये होगी, जिसमें आशुलेखन एवं टंकण/ कम्प्यूटर की गति क्रमशः 80 एवं 30 शब्द प्रति मिनट होगी। विभागीय परीक्षा में असफल होने पर प्रथम वेतन वृद्धि के बाद आगे की वेतन वृद्धि विभागीय परीक्षा पास होने तक रोक दी जायेगी।

(iii) नियुक्त कर्मी परीक्ष्यमान काल एवं प्रशिक्षण पूरा करने एवं विभागीय परीक्षा में सफल होने पर समवर्ग में सम्पुष्ट किए जायेंगे।

8. <u>प्रोन्नतिः-</u>

(i) सम्वर्ग में सम्पुष्ट आशुलिपिकों की प्रोन्नति ग्रेड- III से ग्रेड- II एवं ग्रेड- II से ग्रेड- I में सम्पुष्टि एवं दक्षता-सह-वरीयता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर होगी।

(ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा नियत कालावधि एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में प्रोन्नति के समय विचारणीय होगा।

9. <u>आरक्षणः-</u>

राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुशंसित आरक्षण नीति का नियुक्ति एवं प्रोन्नति में दृढ़ता से अनुपालन किया जायेगा।

10. <u>पदस्थापनः-</u>

(i) नियुक्त आशुलिपिकों का पदस्थापन संबंधित समाहरणालय एवं उसके क्षेत्रीय कार्यालयों में होगा।

(ii) संबंधित जिला समाहर्त्ता अपने जिला के क्षेत्राधीन कार्यालयों में स्थानान्तरण कर सकते हैं।

11. इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नहीं हो सका है, उनके लिए राज्य सरकार की प्रासंगिक संहिता/ नियमावली/ संकल्प/ अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे।

12. <u>निरसन एवं व्यावृतिः-</u>

इस नियमावली के प्रभवव में आने की तिथि से पूर्व के प्रासंगिक संकल्प/ परिपत्र आदि निरसित समझे जायेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(के0सी0 साहा)
आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक- 4/क्षे0स्था0सेवा नीति-7/2003- 1002(4)6 पटना, दिनांक- 9-10-06

प्रतिलिपि- आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि दिनांक 20.05.2006 को प्राधिकृत समिति की बैठक में लिए गए निर्णय एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लम्बित अवमाननावाद संख्या- 3163/2005 (सिद्धार्थ कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) को ध्यान में रखते हुए इस नियमावली के आलोक में अन्य विभागों के क्षेत्रीय आशुलिपिकों की (राज्यस्तरीय) नियमावली हेतु अपेक्षित मार्गदर्शन निर्गत करेंगे।

(के0सी0 साहा)
आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक- 4/क्षे0स्था0सेवा नीति-7/2003- 1002(5) पटना, दिनांक- 9-10-06

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के0सी0 साहा)
आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक- 4/क्षे0स्था0सेवा नीति-7/2003- 1002(5) पटना, दिनांक- 9-10-06

प्रतिलिपि- सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(के0सी0 साहा)
आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक- 4/क्षे0स्था0सेवा नीति-7/2003- 1002(5) पटना, दिनांक- 9-10-06

प्रतिलिपि- अधीक्षक, राजकीय प्रेस, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय तथा इसकी 500 (पाँच सौ) प्रति राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

(के0सी0 साहा)
आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।